तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15-07-2019	बबुलाल उपस्थित। अधिवक्ता प्रति०सं० 1 ने आपत्ति किया कि अधिवक्ता प्रति०सं० 1 के अन्तर्गत धारा 188 RT Act 1955 के तहत प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रति० सं० 2 किया है, जिसमें विवादित भूमि ग्राम सभा की बंजर राजस्व रेकर्ड अन्तर्गत मौजा- के खसरा नं० 394, 395, 398, की विवादित भूमि खसरा नं० 394, 395, 398, 252, 472, 396 व 397 कुल किता 7 रकबा 3=46 हेक्टेयर में से ख०नं० 252 की भूमि वादी लिखमी नन्द, शिवलाल पुत्र हो जाने से पत्नी पुत्रि शिवलाल मंगलाराम पुत्र शिवलाल नाम का कोविलपा माता पत्नी के नाम दर्ज है। जबकि किता ख०नं० 472 रकबा 2.5800 हेक्टेयर पुश्तैनी पानी आबादी राजपूत सा० खेलवाड़ तथा ख०नं० 394, 395, 396, 397, व 398 कुल किता 5 रकबा 2=8800 हेक्टेयर भूमि अधिकृत पत्नि प्यालाराम 1/2 धनीमाराम पुत्र भूलाराम 1/2 नाम गुंजर सा० के खेवाड़ के नाम दर्ज है। चूंकि विवादित भूमि में से नाप वादिगण की खातेदारी की बताई तथा अन्य ख०नं० 394, 395, 396, 397 व 398 तथा 472 की भूमि के नाम आदि ग्राम सभा अन्य खातेदारों के नाम दर्ज होने से यह RT Act 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। ख०नं० 252 की भूमि से संबंधित वादी सं० 2 शिवलाल के व्यक्तिगत से संबंधित नहीं किया जाने से दावा समय से रकबा पर भी हो चुका है। अतः अधिवक्ता मय वादिगण दावा प्रस्तुत धारा 188 RT Act का प्रस्तुत उक्त वाद प्रभावहीन (Infructuous) हो चुका है, तथा वादी सं० 2 शिवलाल के व्यक्तिगत रकबा पर नहीं किया जाने से वाद रकबा हो जाने से तथा विवादित भूमि अन्य खातेदारों के नाम दर्ज होने से उनकी खातेदारी भूमि में ख०नं० 252 की भूमि में नाप वाद लाने का अधिवक्ता पुनरांकित रखते हुए उक्त वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली समय हुआ होकर नकल से काम हो। वाद खारिज जा का दाखिल दफ्तर हो। लेखक नकल जमाही। SDO, Sojat